फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

हनुमान बनाम मोहनलाल वगैरह

किस्म मुकदमा:–212 R.T.Act प्रकरण संख्या:–233/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.01.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दोहराते हुए बताया कि तहसील सूरतगढ़ के चक 3 ए.एस. की राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 की संयुक्त खाता संख्या 52 नई 32 पुरानी में 6.325 हैक्टर भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम प्रत्येक का 1/2 हिस्सा दर्ज है। चक 26 एम.ओ.डी. की जमाबंदी सम्वत् 2074 ता 77 की संयुक्त खाता संख्या 91/68 की 9.614 हैक्टर खातेदारी भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से 961/9614 हिस्सा यानि 0.961 हैक्टर व प्रार्थी के नाम से 961/9614 हैक्टर व तहसील पीलीबंगा के चक 40 एल.एल.डब्लयू.–ए की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 76 की संयुक्त खाता संख्या 53/60 की 10.373 हैक्टर खातेदारी भूमि अप्रार्थी संख्या–1 के नाम से 1037/10373 हिस्सा यानि 1.037 हैक्टर व प्रार्थी के नाम से 1037/10373 हिस्सा यानि 1.037 हैक्टर अंकित है। उपर्युक्त वर्णित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता भीयाराम पुत्र भगवानाराम जाति गुरड़ा साकिन सूरावाली के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित थी। उनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त रकबा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 5 पुत्रियां को प्राप्त हुई। जिनमें बहनों द्वारा अपने–अपने हिस्सा की कृषि भूमि दोनों भाईयों के पक्ष में हक त्याग द्वारा छोड़ दिये जाने से दोनों भाईयों के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है। प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों भाईयों के विवाह के पश्चात् पिता भीयांराम के जीवनकाल में ही अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा बंटवारा कर चक 26 एम.ओ.डी. तहसील सूरतगढ़ व चक 40 एल.एल.डब्लयू.–ए तहसील पीलीबंगा में स्थित सिंचित उपजाउ और कीमती भूमि को अपने पास रख लिया और चक 3 ए.एस. तहसील सूरतगढ़ की रेतीली उंची–नीची टीलों वाली भूमि जिसमें पानी लगा पाना भी सम्भव नही था, प्रार्थी को दे दी गई थी। जिस पर प्रार्थी का सन् 1986 से लगभग काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी ने घरू बंटवारा में प्राप्त और कब्जा काश्त में चक 3 ए.एस. तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 52/32 में अंकित खाता की कुल 6.325 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि में लाखों रूपया खर्च कर इसमें ट्रेक्टरों से कराया लगवाकर भूमि को समतल कर इसे काबिल काश्त व उपजाउ बनाया है। जिसमें प्रार्थी की वर्षो का अथक मेहनत व परिश्रम लगा है। इसलिये प्रार्थी अपने कब्जा काश्त में चली आ रही उक्त वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से अंकति 1/2 हिस्सा यानि 3.1625 हैक्टर बारानी व नहरी भूमि का प्रार्थी को खातेदार और चक 26 एम.ओ.डी. की संयुक्त खाता संख्या 91/68 में अंकित खाता की कुल 9.614 हैक्टर भूमि में प्रार्थी के नाम से अंकित 961/9614 हिस्सा यानि 0.961 हैक्टर व चक 40 एल.एल.डब्लयू. तहसील पीलीबंगा की संयुक्त खाता संख्या 53/60 में अंकित खाता की कुल 10.373 हैक्टर खातेदारी भूमि में प्रार्थी के नाम से अंकित 1037/10373 हिस्सा यानि 1.037 हैक्टर हिस्सा का अप्रार्थी संख्या 1 को खातेदार घोषित करवाना चाहता है। प्रार्थी के द्वारा मुताबिक घरू बंटवारा अपने कब्जा काश्त में चली आ रही चक 3 ए.एस. की कृषि भूमि को सुधार लेने व वर्तमान में मौका पर अच्छी फसल होने से अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्रों के मन में बदयन्ती आ जाने से उनके द्वारा अपने पिता को उकसाकर प्रार्थी को धमकाया जा रहा है कि या तो आप कब्जा हमें सौंप दो नही तो हम जबरन कब्जा करेगें। इस प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को वर्षो तक चक 26 एम.ओ.डी. व चक 40 एल.एल.डब्लयू.–ए में काश्त पर उठाई गई फसल में उसके हिस्सा की राशि अदा करने और मौका पर उसके हिस्सा की भूमि का कब्जा सौपनें हेतु कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 व उसके पुत्रगण इंकार हो गये और कहा कि हम ना तो कोई राशि देगें व ना ही जमीन में हिस्सा देगें। इसके बाद दिनांक 25.05.2023 को	

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.01.2024	अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 25.05.2023 को भूमि में आकर लड़ाई–झगड़ा करने लग गये जिसके बाबत् एक परिवाद भी प्रार्थी ने पेश किया था। इस पर अप्रार्थी संख्या 1 व उसके पुत्रों ने थाना में पुलिस के मार्फत बुलाकर प्रार्थी को डरा धमका कर खाली कागजों पर उसके हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी को भगा दिया। अप्रार्थी ने प्रार्थी को धमकी दी है कि वे चक 26 एम.ओ.डी. व 40 एल.जी.डबलयू–ए की भूमि का कब्जा व भूमि का बेचान कर देगें। यदि अप्रार्थी ने चक 3 ए.एस. में वादी के कब्जा काश्त वाली खाता की कुल 6.325 हैक्टर नहरी व बारानी भूमि में से उसे बेदखल कर दिया और चक 26 एम.ओ.डी. व 40 एल.एल.डब्लयू.–ए में स्थित प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि का बेचान कर कब्जा आगे हस्तान्तरित कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिससे वाद पत्र ही बेसूद हो जावेगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र के निर्णय तक चक 3 ए.एस. के संयुक्त खाता सं. 52/32 में अंकित कुल खाता की कुल 6.325 हैक्टर खातेदारी भूमि में प्रार्थी के कब्जा काश्त में आ रही भूमि में अप्रार्थी के द्वार किसी भी प्रकार से मदालखत बेजा ना किये जाने और चक 26 एम.ओ.डी. के संयुक्त खाता सं. 91/68 में अंकित खाता की कुल 9.614 हैक्टर में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सा व चक 40 एल.एल.डब्लयू.–ए की संयुक्त खाता संख्या 53/60 में अंकित खाता की कुल 10.3736 हैक्टर खातेदारी भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से अंकित हिस्सा में मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान फरमावें। वकील अप्रार्थी संख्या–1 ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि पिता के जीवनकाल में या उनके जीवन के समाप्त होने के बाद आज तक कोई बंटवारा चक नम्बर या पत्थर नम्बर में नही हुआ है। दिनांक 11.10.2023 को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य गवाहन के सामने लिखित में बंटवारानामा हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 चक 26 एम.ओ.डी. व चक 40 एल.एल.डब्लयू.–ए में अपने हिस्सा अनुसार भूमि काश्त कर रहा है। प्रार्थी की दोनों चकों की भूमि वह स्वयं हिस्सा ठेके पर देता आ रहा हैं। अब 2–3 वर्षो से मौका पर बिना बिजाई के खाली पड़ी है। चक 3 ए.एस. की भूमि मुझ अप्रार्थी द्वारा सुरांवाली में निवास करने व हद्य बिमारी के कारण प्रार्थी ही मुझ अप्रार्थी की सहमति से काश्त कर रहा था। चक 3 ए.एस. की भूमि प्रार्थी अपने हिस्सा अनुसार पिछले कई सालों से काश्त कर रहा है जो आधे हिस्से की बटायी पर दे रखी थी। चक 3 एएस की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–1 के पिता के नाम से आवंटन हुई थी पिता ने अपने जीवनकाल में ही इस भूमि को सुधार कर काश्त योग्य बना ली थी। इसके बाद इस भूमि में जो भी सुधार कार्य हुआ। दिनांक 11.10.2023 से पूर्व कोई बंटवारा नही हुआ है दिनांक 11.10.2023 को जो बंटवारा हुआ है उसमें तीनों चक 3 एएस, 26 एमओडी, 40 एलएलडब्लयू की समस्त भूमि का बंटवारा हुआ है। जो 100/–रूपये के स्टाम्प पर गवाहान के रूबरू हुआ है, जो कि नोटेरी से तस्दीक है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित नही किया है यानि छिपाया है। प्रार्थना पत्र आधारहीन होने व मनगढ़त होने से निरस्त किया जावे। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तहसील सूरतगढ़ के चक 3 ए.एस. की राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 की संयुक्त खाता संख्या 52 नई 32 पुरानी में 6.325 हैक्टर भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम प्रत्येक का 1/2 हिस्सा दर्ज है। चक 26 एम.ओ.डी. की जमाबंदी सम्वत् 2074 ता 77 की संयुक्त खाता संख्या 91/68 की 9.614 हैक्टर खातेदारी भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से 961/9614 हिस्सा यानि 0.961 हैक्टर व प्रार्थी के नाम से 961/9614 हैक्टर व तहसील पीलीबंगा के चक 40 एल.एल.डब्लयू.–ए की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 76 की संयुक्त खाता संख्या	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.01.2024	53/60 की 10.373 हैक्टर खातेदारी भूमि अप्रार्थी संख्या–1 के नाम से 1037/10373 हिस्सा यानि 1.037 हैक्टर व प्रार्थी के नाम से 1037/10373 हिस्सा यानि 1.037 हैक्टर अंकित है। उपर्युक्त रकबा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–1 के नाम सांझा खाता में है। अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र घरेलु पंचायती बंटवारा में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–1 ने आपस में सहमति से बंटवारा लिखवाया हुआ है। उक्त बंटवारानामा दिनांक 11.10.2023 को लिखा गया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में इसका कथन नही किया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नही आये है। अप्रार्थी संख्या–1 जैरवाद रकबा में अंकित खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने खाता विभाजन हेतु घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया है। इसलिये अंकित खातेदार को स्थगन से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र आधारहीन होने व मनगढ़त होने से इसी स्तर पर अस्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 25.10.2023 को जारी टी0आई0 स्थगन आदेश भी निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (सन्दीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	